बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-1062/2024- 795 पटना, दिनांक- 24/4/25

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-2368, दिनांक-14.05.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के क्रम में विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल को अधियाचना में उल्लेखित योजनाओं की जाँच करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल के ज्ञापांक-278, दिनांक-19.07.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में योजनाओं की स्थलीय जाँच में निम्नवत् त्रुटियाँ पायी गयी:-

(i) जाँच की गयी कुल 44 अदद योजनाओं में से प्रखंड-कहरा, पंचायत-नरियार के दो वार्डो में जलापूर्त्ति बंद थी। प्रखंड-कहरा, पंचायत-नरियार, प्रखंड-सौर बाजार, पंचायत-सहुरिया पश्चिम, सोहथ पंचायत, प्रखंड-सतरकटैया, पंचायत-पटोरी प्रखंड-पतरघट, पंचायत-विशनपुर, गोलमा पूर्वी पंचायत, प्रखंड-सलखुआ, पंचायत-कोपरिया प्रखंड-सोनवर्षा, पंचायत-खजुराहा पंचायत सीहथ के वार्डो में मानक के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या-92, दिनांक-18.03.2019 द्वारा "हर घर नल का जल" हेतु क्रियान्वित की गयी जलापूर्त्ति योजना से संबंधित अधियाचना विद्युत खपत आधारित एवं वास्तविक विद्युत विपत्र के आधार पर की जानी है, परन्तु श्री सिंह द्वारा की गयी अधियाचना वास्तविक विद्युत खपत एवं वास्तविक विद्युत विपत्र आधारित ना होकर संवेदक द्वारा मापी-पुस्त में अंकित दरों के आधार पर की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-92, दिनांक-18.03.2019 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

(iii) जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि एकरारनामा संख्या-109, 114, 115, 116, 134 एवं 135 में संवेदक को एकरारित दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। एकरारनामा संख्या-21 में Trial-run मद में संवेदक को अधिक भुगतान किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह द्वारा योजनावार मापी के आधार पर माप-पुस्त में अंकित प्रविष्टि के अनुसार भुगतान ना कर एकरारनामा में प्रावधानित मात्रा के आधार पर भुगतान किया गया। श्री सिंह द्वारा चापाकल के निर्माण कार्यो का अद्यतन प्रतिवेदन MIS Portal पर अपलोड नहीं किया गया है।

02. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2730, दिनांक-22.10.2018 के तहत की गयी

अधियाचना की जाँच अधीक्षण अभियंता(मो०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना(उड़नदस्ता दल संख्या-03) द्वारा करायी गयी। उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियंता(मो०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-26, दिनांक-13.12.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में योजनाओं की स्थलीय जाँच में निम्नवत् त्रुटियाँ पायी गयी:-

(i) प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, पंचायत सितानाबाद उत्तरी के वार्ड संख्या-04A, 05B में योजना की विवरणी अंकित नहीं पायी गयी, IOT Device बंद पाया गया, जल जाँच रजिस्टर नहीं पाया गया, ट्रीटमेन्ट यूनिट का मीडिया चेंज नहीं कराया गया है। वार्ड संख्या-04B में IOT Device बंद पाया गया, स्टेबलाईजर खराब पाया गया, जल जाँच रजिस्टर नहीं पाया गया, ट्रीटमेन्ट यूनिट का मीडिया चेंज नहीं कराया गया है, ग्रामीण मो0 सिराज के घर चार महीने से गृह संयोजन से जलापूर्त्ति नहीं होने की समस्या बतायी गयी। वार्ड संख्या-07 09, 10B, 11, 12 एवं 13 तथा पंचायत-सिमरी में IOT Device बंद पाया गया, जल जाँच रजिस्टर नहीं पाया गया, ट्रीटमेन्ट यूनिट का मीडिया चेंज नहीं कराया गया है, ग्रामीण द्वारा दूषित जलापूर्त्ति होने की समस्या बतायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

(ii) सौरबाजार प्रखंड के रौताखेम पंचायत के वार्ड संख्या-01, 07, 08, 10 एवं 12 में औसत बिजली खपत सामान्य बिजली खपत से कम पाया गया एवं कुछ माह में बिजली खपत शून्य यूनिट भी पाया गया है। प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, पंचायत-सितानाबाद उत्तरी के वार्ड संख्या-04A, 04B, 05B, 06, 07, 08A, 09, 10B, 11, 12 एवं 13 तथा पंचायत-सिमरी में औसत बिजली खपत सामान्य बिजली खपत से कम पाया गया एवं कुछ माह में बिजली खपत शून्य यूनिट भी पाया गया है। 3HP के मोटर के छः घंटे प्रतिदिन संचालित रहने पर कुल 453 यूनिट एवं 2HP के मोटर के छः घंटे प्रतिदिन संचालित रहने पर कुल 302 यूनिट प्रतिमाह खपत होनी चाहिए। औसत विद्युत खपत सामान्य विद्युत खपत से कम होने एवं कुछ माह में विद्युत खपत शून्य युनिट होने से स्पष्ट है कि योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं शून्य विद्युत खपत वाले महीनों में योजनाएँ बंद रही होगी।

03. अधीक्षण अभियता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-02, पटना के द्वारा दिनांक-04.07.2024 एवं 05.07.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों का निराकरण करते हुए श्री सिंह के पत्रांक-3689, दिनांक-05.09.2024 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन के साथ विद्युत विपत्रों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, पंचायत-बघवा के वार्ड संख्या-10 में माह जून, 2023 से फरवरी, 2024 तक विद्युत खपत शून्य युनिट है। प्रखंड-सिमरी

बख्तियारपुर, पंचायत-बघवा के वार्ड संख्या-9B में माह सितम्बर, 2022 से अप्रैल 2023 तक विद्युत खपत शून्य युनिट पाया गया। प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, पंचायत-बघवा के वार्ड संख्या-02 में माह जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक विद्युत खपत शून्य युनिट पाया गया। प्रखंड कहरा, पंचायत-चैनपुर एवं प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर के बघवा पंचायत से संबंधित कई वार्डों में संचालित योजनाओं में से कुछ में विद्युत खपत विभागीय मानक से कम है।

औसत विद्युत खपत सामान्य विद्युत खपत से कम होने एवं कुछ माह में विद्युत खपत शून्य युनिट होने से स्पष्ट है कि योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं शून्य विद्युत खपत वाले महीनों में योजनाएँ बंद रही होगी।

04. जिला प्रशासन, सहरसा के स्तर से टीम बनाकर दिनांक 22.10.2024 को सहरसा प्रमंडल अन्तर्गत संचालित "हर घर नल का जल" योजना के क्रियाशीलता की जाँच की गयी। स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सहरसा प्रमंडल अन्तर्गत संचालित कुल 801 योजनाओं में से 107 योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी।

05. प्रधान सचिव द्वारा दिनांक-07.10.2024 को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत छुटे हुए टोलों में जलापूर्त्ति योजना चालू करने हेतु आमंत्रित निविदा के निस्तारण के स्थिति की समीक्षा की गयी।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-5/SBFc/2024-25 के ग्रुप संख्या-09, 14, 20, 22 एवं 23 के क्रमश टेंडर आईडी-68173, 68178, 68184, 68187 एवं 68188 के तकनीकी बीड का मूल्यांकण करते हुए निविदा में भाग लिये हुए सभी निविदाकार को सफल घोषित करते हुए दर बीड खोलने का प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल को भेजा गया है। तद्नुसार श्री सिंह एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ द्वारा टेंडर आई.डी. में भाग लेने वाले सभी बीडरों को तकनीकी रूप से सफल मानते हुए दर बीड खोलने का आदेश दिये जाने के बावजूद दर बीड नहीं खोला गया है। PHED वार्डो के छुटे हुए टोलों की स्वीकृत योजनाओं की निविदा निष्पादन की समीक्षा में यह पाया गया कि सहरसा प्रमंडल अन्तर्गत कुल आमंत्रित 40 अदद् ग्रुपों से संबंधित निविदा में अभी भी 22 अदद ग्रुपों की निविदा निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें श्री सिंह के स्तर पर 16 Technical BID एवं 03 Rate BID का निष्पादन लंबित पाया गया। पूर्व में भी प्रधान सचिव द्वारा दिनांक-07.10.2024 को सहरसा प्रमंडलान्तर्गत छुटे हुए टोलों में जलापूर्ति योजना चालू करने हेतु आमंत्रित निविदा के निस्तारण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि NIT No-05/SBFe/2024-25 के ग्रुप संख्या 04, 31 एवं 33 तथा ग्रुप संख्या 18 अन्तर्गत प्राप्त तकनीकी बीड को क्रमशः दिनांक-03.09.2024 तथा दिनांक-06.09.2024 को खोला गया, परन्तु

उसका निष्पादन श्री सिंह के स्तर से दिनांक-03.10.2024 को किया गया। इसी प्रकार Re Tender NIT No-R2-03/SBFe/2024-25 के ग्रुप संख्या 17 के अन्तर्गत प्राप्त तकनीकी बीड को दिनांक-08.08.2024 को खोला गया परन्तु उसका निष्पादन दिनांक-06.09.2024 को किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह के स्तर से निविदा निष्पादन में शिथिलता बरती जा रही है।

06. विभागीय पत्रांक-526, दिनांक-04.03.2025 द्वारा विभिन्न परिवादियों से प्राप्त परिवाद पत्र के समीक्षोपरान्त परिवाद पत्र में लगाये गए आरोपों एवं निविदा संख्या-06(R2)/SBFe/2024-25 एवं ग्रुप संख्या-02, 08, 13, 14 एवं 15 के तकनीकी बीड की जाँच हेतु श्री हरे राम, मुख्य अभियंता(रूपांकण) के प्रावैधिक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक-21.04.2025 को उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित है कि निविदा संख्या-05/SBFe/2024-25 को निस्तारित करने में श्री सिंह के स्तर से लापरवाही बरती गयी है। परिवादी श्री उदय शंकर सिंह द्वारा निविदा संख्या-05/SBFe/2024-25 में लगाये गए भारी गड़बड़ी संबंधी आरोप की जाँच में श्री सिंह के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित माना गया। परिवादी श्री चंद्रिका प्रसाद साह द्वारा निविदा संख्या-05/SBFe/2024-25 के ग्रुप संख्या-10, 35, 37 एवं 39 में तकनीकी बीड पास करने संबंधी परिवाद के संबंध में जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह के स्तर से निविदा निस्तारण में पारदर्शिता नहीं बरती गयी।

07. महिषी प्रखंड के आयना पंचायत के वार्ड संख्या-07 के लाभुक द्वारा दूरभाष पर जलापूर्त्ति के संबंध में शिकायत किये जाने पर श्री सिंह द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिला प्रशासन, सहरसा के स्तर से दिनांक-20.11.2024 एवं 21.11.2024 को द्वितीय चरण के स्थल निरीक्षण के उपरान्त MIS Portal पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड किया गया। दिनांक-21.04.2025 को MIS Portal से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार सहरसा प्रमंडल अन्तर्गत संचालित कई योजनाओं को मानक के अनुरूप क्रियान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न त्रुटियों के कारण लाभुकों को जलापूर्त्ति बाधित है। प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहरसा प्रमंडलान्तर्गत आच्छादन क्षेत्र में छुटे हुए गृह जल संयोजन की संख्या-2505 है। गृह जल संयोजित एवं आच्छादित परिवारों में से 3547 परिवारों को जलापूर्त्ति बंद है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह के स्तर से विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

08. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागान्तर्गत छुटे हुए टोलों में जलापूर्त्ति योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की दिनांक-17.04.2025 को हुई समीक्षा में यह पाया गया कि कुल 268 छुटे हुए टोलों में मात्र 68 योजनाओं में

ही कार्य प्रगति पर है, जबकि 199 योजनाओं में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया।

09. योजनाओं के बंद पाये जाने, विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नही करने, लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार करने, वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर अधियाचना ना कर एकरारनामा में प्रावधानित दर के आधार पर विद्युत खपत की अधियाचना करने, कुछ योजनाओं अन्तर्गत औसत विद्युत खपत सामान्य विद्युत खपत से कम पाये जाने, माप-पुस्त में अंकित प्रविष्टि के अनुसार भुगतान ना कर एकरारनामा में प्रावधानित दर के आधार पर संवेदक को भुगतान करने तथा निविदा निस्तार में विलम्ब एवं अनियमितता बरते जाने से यह स्पष्ट है कि श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा योजनाओं का उचित क्रियान्वयन ना कर लापरवाही एवं शिथिलता बरती जा रही है। श्री सिंह के स्तर से निविदाओं के निस्तार में भी लापरवाही एवं अनियमितता बरती गयी है। CGRC Portal पर प्राप्त शिकायत के निष्पादन के दौरान श्री सिंह द्वारा दूरभाष पर लाभुक से अनुचित व्यवहार किया गया, जो सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचार संबंधी मापदण्डों के विपरीत है। वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर अधियाचना ना कर एकरारनामा में प्रावधानित दर के आधार पर विद्युत खपत की अधियाचना करने एवं माप-पुस्त में अंकित प्रविष्टि के अनुसार भुगतान ना कर एकरारनामा में प्रावधानित दर के आधार पर संवेदक को भुगतान करने से यह स्पष्ट है कि श्री सिंह के स्तर से वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है।

10. श्री सिंह का उपर्युक्त कृत्य विभागीय स्तर से निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों में निहित निदेशों, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित सुसंगत नियमों तथा बिहार वित्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री सिंह प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

11. अतः श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

12. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम रहेगा।

13. निलंबन के दौरान श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

14. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.05.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1062/2024- 796 पटना, दिनांक- 24/5/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा/सासाराम(रोहतास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.05.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1062/2024- 796 पटना, दिनांक- 24/5/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णिया एवं पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा एवं सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.05.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1062/2024-796 पटना, दिनांक-24/4/25

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.04.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव